न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 57/2017

सूरजमल गुर्जर बनाम 1. धूला मीणा पि० केला मीणा नि. बड़ला का
नि. भाडपुरा
2. सोलाल पिता चतुर्भुज गुर्जर नि. भारोडा
3. हीरा पिता काना मीणा नि. भारोडा
4. मकराम पिता बिजयराम गुर्जर नि. भारोडा
5. रामेश्वर पिता बिजयराम गुर्जर नि. भारोडा
6. भूरा पिता काना गुर्जर नि. भारोडा
7. श्रीराम पिता नारायण मीणा नि. भारोडा

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :– दिनांक— 15/5/2017

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री —सूरजमल गुर्जर————— ने जरिये अभिभाषव श्री ————— ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम भारोडा प0ह0 भाडपुरा तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0 ——226/2, 248/66—— किता 2 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीम विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जा साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थ की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् 2070 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडत है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाक ग्राम—भारोडा— की आराजी न0——226/2, 248/66 किता 2—— रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जा के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 500/-/रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। ए पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदा माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ जि–भीलवाडा